

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में
सी०एम०पी० संख्या-212/2019

मो० हनीफ

.....याचिकाकर्ता

बनाम्

मो० तौफीक आलम

..... विपक्षी पार्टी

कोरम: माननोय न्यायमूर्ति श्री (डॉ०) एस०एन० पाठक

याचिकाकर्ता के लिए : श्री ऐश्वर्या प्रकाश, अधिवक्ता
विपक्षी के लिए :

03/05.07.2019 इस सी०एम०पी० को एस०ए० सं०-127/2013 की पुनःस्थापन हेतु दायर किया गया है, जिसे दिनांक 25.02.2019 के अनुल्लंघनीय आदेश का पालन न करने के कारण दिनांक 11.03.2019 को खारिज कर दिया गया था।

इस सी०एम०पी० आवेदन के पैरा सं०-3 में पर्याप्त कारण दिखाया गया है, जिसमें अनुल्लंघनीय आदेश का पालन न करने का कारण उल्लेख किया गया है। यह न्यायालय, दिखाए गए कारण से पूरी तरह से संतुष्ट है और उत्तरदाता-राज्य से कोई आपत्ति नहीं है, ऐसी स्थिति में, सी०एम०पी० को अनुमति देने के लिए इच्छुक हैं।

तदनुसार, इस सी०एम०पी० की अनुमति है और एस०ए० सं०-127/2013 को 2500/- की कॉस्ट का भुगतान सदस्य सचिव, झालसा के समक्ष करने पर अपनी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया जाता है।

(डॉ० एस०एन० पाठक, न्याया०)